

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प. 4(2)साप्र / 2 / 2012


जयपुर, दिनांक २२।।।१२

—: आदेश :—

श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को पूर्व पदस्थापन के परिपेक्ष में इनकी वरियता द्वितीय श्रेणी संख्या 54/2010 के आधार पर इस विभाग के आदेश संख्या प.2(1)साप्र / 2 / 2010 दिनांक 12.11.2010 के द्वारा राजकीय आवास संख्या 304, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर आवंटित किया गया था। जिसमें दिनांक 19.11.2010 से काबिज है। इनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.8.2016 को हो चुकी है।

कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा संख्या प.9(5)कार्मिक/क-1/2016 पार्ट दिनांक 1.9.2016 के द्वारा श्री रमेश चन्द्र गुप्ता (सेवानिवृत्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा जयपुर) को विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री के पद पर दिनांक 1.9.2016 से एक वर्ष या अन्य आदेश जारी होने तक (जो भी पहले हो) पे-माईनस पेंशन के आधार पर नियुक्त किये जाने के कारण इस विभाग के आदेश संख्या प.4(2)साप्र / 2 / 2012 दिनांक 6.10.2016 के द्वारा राजकीय आवास आवंटन नियम-1958 के नियम-27 में शिथिलन प्रदान करते हुए दिनांक 2.9.2016 कार्यग्रहण की तिथि से एक वर्ष या अन्य आदेश जारी होने तक (जो भी पहले हो) तक के लिए आवंटित राजकीय आवास संख्या 304, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर में नियमानुसार किराया भुगतान की शर्त पर निवास की अनुमति एतदद्वारा प्रदान की गई थी।

कार्मिक (क-1) विभाग की आज्ञा संख्या प.9(5)कार्मिक/क-1/2016 पार्ट दिनांक 12.10.2017 के द्वारा श्री रमेश चन्द्र गुप्ता (सेवानिवृत्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा जयपुर) विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री के पद पर दिनांक 3.9.2017 से एक वर्ष या अन्य आदेश जारी होने तक (जो भी पहले हो) पे-माईनस पेंशन के आधार पर बढ़ाई गई है के परिपेक्ष में नियम-27 में शिथिलन प्रदान करते हुए दिनांक 3.9.2017 से एक वर्ष या अन्य आदेश जारी होने तक (जो भी पहले हो) तक के लिए आवंटित राजकीय आवास संख्या 304, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर में नियमानुसार किराया भुगतान की शर्त पर निवास की अनुमति में एतदद्वारा वृद्धि की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गौरव बजाड़)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- 1 संभागीय आयुक्त, जयपुर।
- 2 जिला कलेक्टर, जयपुर।
- 3 विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी अशा. टीप. संख्या मुम-ओएसडी/एपीएस/2017 दिनांक 13.10.2017 के क्रम में।
- 4 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग को उनकी आईडी संख्या 462/एम/जीएडी/2017 दिनांक 20.11.2017 के क्रम में।
- 5 निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
- 6 निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेर विभाग, जयपुर।
- 7 मुख्य अभियंता, भवन सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 8 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग को उनकी टीप संख्या प.9(5)कार्मिक/क-1/2016 दिनांक 12.10.2017 के क्रम में।
- 9 वित्तीय सलाहकार कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 10 कोषाधिकारी कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 11 अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-3/जन स्वारश्य अभियांत्रिकी/ जयपुर विविठ निगम लिंग गांधीनगर, जयपुर।
- 12 श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 13 निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
- 14 सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर —कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
- 15 सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर—को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चर्चा करावें।
- 16 शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
- 17 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
- 18 रक्षित पत्रावली।


उप शासन सचिव

राजकीय आवास के आवंटी संलग्न प्रपत्र में शपथपूर्वक सूचना अंकित करते अपने नियुक्ति अधिकारी/ विभागाध्यक्ष से प्रमाणित कराते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग की संबंधित चौकी में आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाइल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर